मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, भोपाल

—

कमांक एफ 19–14/2018/1/4,
प्रति,

भोपाल दिनांक 31 मई, 2018

1. शासन के समस्त विभाग
2. अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर
3. समस्त विभागाध्यक्ष,
4. समस्त कमिश्नर म0प्र0
5. समस्त कलेक्टर म0प्र0
6. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत म0प्र0

विषय– मध्यप्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग के पत्रों का जबाव समय–सीमा में दिये जाने बावत् ।

—

उपरोक्त विषय के संबंध में इस विभाग का आदेश कमांक एफ19–80/2003/1/4, दि0 10.07.2003 की छायाप्रति संलग्न प्रेषित है। अध्यक्ष म0प्र0 राज्य अनुसूचित जाति आयोग द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त निर्देश का पालन कुछ शासकीय सेवकों द्वारा नही किया जा रहा है।

2/ अतः आदेशानुसार अनुरोध है कि उक्त आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए तथा आपके अधीनस्थ शासकीय सेवकों को निर्देशित करें कि मध्यप्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग तथा मध्यप्रदेश अनुसूचित जनजाति आयोग के पत्रों का जबाव समय–सीमा में आयोग को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें ।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(संजय कुमार)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

पृ0कमांक एफ 19–14/2018/1/4,
प्रतिलिपिः–

भोपाल, दिनांक 31 मई, 2018

1 अध्यक्ष, म0प्र0 राज्य अनुसूचित जाति आयोग भोपाल की ओर उनके पत्र दिनांक 10.04.2018 के संदर्भ में सूचनार्थ अग्रेषित ।
2 रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय म0प्र0 जबलपुर
3 सचिव, लोकायुक्त म0प्र0 भोपाल
4 सचिव, म0प्र0 लोक सेवा आयोग इन्दौर
5 महानिदेशक प्रशासन अकादमी म0प्र0 भोपाल

6 राज्यपाल के प्रमुख सचिव, म0प्र0 राजभवन भोपाल
7 प्रमुख सचिव, म0प्र0 विधानसभा सचिवालय, भोपाल
8 प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल
9 माननीय मंत्री/राज्यमंत्री के निज सचिव/निज सहायक म0प्र0 भोपाल।
10 मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, म0प्र0 भोपाल
11 सचिव म0प्र0 राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल
12 सचिव म0प्र0 मानव अधिकार आयोग, भोपाल
13 सचिव, अल्प संख्यक आयोग, म0प्र0 भोपाल
14 प्रबंध संचालक, समस्त निकाय/मण्डल, म0प्र.
15 अध्यक्ष, व्यवसायिक परीक्षा मण्डल/माध्यमिक शिक्षा मण्डल म0प्र0, भोपाल
16 महाधिवक्ता/उपमहाधिवक्ता, म0प्र0 उच्च न्यायालय खण्डपीठ–इन्दौर /ग्वालियर/जबलपुर.
17 महालेखाकार, म0प्र0 ग्वालियर/भोपाल.
18 प्रमुख सचिव/सचिव/उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, भोपाल
19 पुलिस महानिदेशक, मध्यप्रदेश, भोपाल
20 मुख्य सचिव के उप सचिव, मंत्रालय, भोपाल
21 अवर सचिव (स्थापना/अधीक्षण/अभिलेख), मुख्य लेखाधिकारी, म0प्र0, मंत्रालय
22 सचिव, म0प्र0 राज्य सूचना आयोग, निर्वाचन भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल
23 संचालक, जनसंम्पर्क संचालनालय, भोपाल. की ओर समाचार पत्रो में प्रकाशित कराने हेतु अग्रेषित।
24 अधीक्षक, स्टेट गैरेज, भोपाल।
25 अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठन/संघो की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

लोक शिक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेश

पृ.क्रमांक/समन्वय/सी/2018/133 भोपाल, दिनांक 27.6.18

प्रतिलिपि:–

1. उप सचिव मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल।
2. वरिष्ठ निज सहायक, आयुक्त लोक शिक्षण मध्यप्रदेश।
3. वरिष्ठ निज सहायक,संचालक लोक शिक्षण मध्यप्रदेश।
4. समस्त अपर संचालक/संयुक्त संचालक/उप संचालक/सहायक संचालक लोक शिक्षण संचालनालय मध्यप्रदेश भोपाल (स्थानीय) मध्यप्रदेश।
5. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण मध्यप्रदेश।
6. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी मध्यप्रदेश।
7. समस्त अधीक्षक/सहायक अधीक्षक लोक शिक्षण संचालनालय मध्यप्रदेश भोपाल (स्थानीय) मध्यप्रदेश।

27/06/18
उप संचालक
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

(4)

मध्य प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
"मंत्रालय",
वल्लभ भवन, भोपाल-462004.

क्रमांकः एफ 1 9/80/2003/1/4, भोपाल, दिनांक 10 जुलाई, 2003

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त जिलाध्यक्ष,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत,
मध्य प्रदेश ।

विषयः- मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग के पत्रों का जवाब समय-सीमा में दिये जाने बाबत ।

उपरोक्त विषय के संबंध में अध्यक्ष, मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग, भोपाल द्वारा माननीय मुख्य मंत्रीजी को अवगत कराया है कि मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग के पत्रों का जवाब समय सीमा में प्राप्त नहीं होता है ।

2/- माननीय मुख्य मंत्रीजी द्वारा निर्देश दिये गये हैं कि मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग तथा मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग के पत्रों का जवाब अधिकतम एक सप्ताह के अंदर आयोग को दिया जाये, तथा यदि कोई अधिकारी उक्त समय सीमा में जवाब नहीं देते है तो उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी ।

3/- अतः आदेशानुसार आपके अधीनस्थ कर्मचारियों/अधिकारियों को निर्देशित करें कि मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग तथा मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग के पत्रों का जवाब समय-सीमा में आयोग को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें ।

(एस0एस0 वानखेड़े)
सचिव,
मध्य प्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग.

निरंतर..2....